राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

पौष 13, मंगलवार, शाके 1933–जनवरी 3, 2012
Pausa 13, Tuesday, Saka 1933–January 3, 2012

सत्यमेव जयते

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 15, 2011

संख्या प.3(2)वन/2011:–वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 11014/3/72 एफ.आई.वाई./डबलू.एल.एफ. दिनांक 01 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है कि धारा 36 ए के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार जोधपुर जिले की लूनी तहसील के ग्राम गुड़ा विश्नोइयान की राजस्व भूमि के खसरा नं. 710 व खसरा नं. 753 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से निम्न अनुसूची में वर्णित राजस्व भूमि को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा "कन्जर्वेशन रिजर्व" घोषित करती है। इसे भविष्य में "गुड़ा विश्नोइयान कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा। गुड़ा विश्नोइयान कन्जर्वेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 231.87 हैक्टर (1432 बीघा 9 बिस्वा) है।

अनुसूची

जिला व तहसील	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	सम्मिलित खसरों की सूची			
		खसरा नं.	खसरे का कुल रकबा	रकबा जो शामिल किया (कन्जरवेशन रिजर्व के लिए)	रकबा जो बाहर छोड़ा
जोधपुर तहसील लूनी	गैर मुमकिन गोचर	710	73.25 है. (452.10 बीघा)	39.63 है (245 बीघा)	(1) 2.10 है. (13 बीघा) – सड़क प्रयोजनार्थ (2) 31.48 है. (194.10 बीघा) – खनन लीज क्षेत्र एवं आबादी के लिए
	गैर मुमकिन गोचर	753	200.51 है. (1238.14 बीघा)	192.24 है. (1187.09 बीघा)	8.29 है. (51.05 बीघा) – सड़क प्रयोजनार्थ
	कुल रकबा		273.76 है. (1690.24 बीघा)	231.87 है. (1432.09 बीघा)	41.87 है. (258.15 बीघा)

खसरा नं. 710 एवं 753 की सीमाएं

1- उत्तरी सीमा – ख.नं. 710 के खनन लीज क्षेत्र को छोड़ते हुऐ ग्रेवल सड़क ग्राम गुड़ा विश्नोईयान से ग्राम मोगड़ा खुर्द जाने वाली ग्रेवल सड़क पर ख.नं. 746/4 के उत्तर पूर्वी कोने से 240 मीटर दूरी जिसकी जीपीएस रींडीग N 26° 07.462' E 73° 05.037' है से ख.नं.

710 व 710/1 की सीमा के सहारे ख.नं. 723/3 के दक्षिण–पश्चिमी कोने से होकर दक्षिण–पूर्वी कोने तक एवं ख.नं. 710/2 एवं 710 की सीमा के सहारे ख.नं. 710/2 के दक्षिणी कोने तक जिसकी जीपीएस रींडिग N 26° 07.415' E 073° 05.339' है, से ख.नं. 695 के उत्तर पश्चिमी कोने तक।

2- पूर्वी सीमा – ख.नं. 695 के उत्तर–पश्चिमी कोने से ख.नं. 695 व 710 की सीमा के सहारे ख.नं. 694 व 710 एवं 753 की सीमा के सहारे ख.नं. 694 के दक्षिण–पश्चिमी कोने तक एवं ख.नं. 756 के उत्तर–पश्चिमी कोने से 753 व 756 की सीमा के सहारे ख.नं. 754 के उत्तर–पश्चिमी कोने तक से ख.नं. 754 व 753 की सीमा के सहारे ग्राम राजपुरिया व ग्राम गुड़ा की सीमा के सहारे ख.नं. 753 के दक्षिण–पूर्वी कोने तक।

3- दक्षिणी सीमा – ख.नं. 753 के दक्षिण–पूर्वी कोने से ग्राम गुड़ा व ग्राम काकाणी की सीमा के सहारे खसरा नं. 752 के दक्षिण पूर्वी कोने तक।

4- पश्चिमी सीमा – खसरा नं. 752 के दक्षिण पूर्वी कोने से खसरा नं. 752 व 753 की सीमा के सहारे ख. नं. 751 के दक्षिण–पश्चिमी कोने तक ग्राम मोगड़ा खुर्द की सीमा पर से ख.नं. 751 व खसरा नं. 753 की सीमा के सहारे ख.नं. 750 के दक्षिणी–पूर्वी कोने तक एवं ख.नं. 750 एवं 753 की सीमा के सहारे होते हुए खसरा नं. 747 व 753 की सीमा के सहारे ख.नं. 747 के दक्षिण–पूर्वी कोने तक एवं ख.नं. 710 व 753 की सीमा के सहारे खसरा नं. 747 के दक्षिण पूर्वी कोने से 450 मीटर की दूरी पर जिसकी जीपीएस रिंडीग N 26° 07.109' E 073° 05.177' है से ख.नं. 710 के खनन लीज क्षेत्र को छोड़ते हुए ऊपर वर्णित उत्तरी सीमा से शुरुआती बिंदु तक जिसकी जीपीएस रिंडीग N 26° 07.462' E 73° 05.037' है।

विशेष विवरण – खसरा नं. 710 का रकबा 258 बीघा में से 13 बीघा राज्य राजमार्ग सं. 68 गुड़ा विश्नोइयान से कांकाणी सड़क एवं ख.नं. 753 का कुल रकबा 1238.14 बीघा में से राज्य राजमार्ग सं. 68 सड़क का रकबा 48–15 बीघा व ग्राम सड़क मोगड़ा खुर्द से राज्य राज मार्ग सं. 68 को जोड़ने वाली सड़क का रकबा 2–10 बीघा सड़क के प्रयोजनार्थ लिया जाता रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।